[2]

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अनुसूची

अनुसूची 1

[धारा 7 देखिए]

ऐसे क्रियाकलाप जिन्हें पूर्ति के रूप में माना जाएगा तब भी यदि उन्हें बिना प्रतिफल के किया गया

(1) जहां इनपुट कर प्रत्यय का ऐसी आस्तियों पर उपभोग किया गया है, कारबार आस्तियों का स्थायी अंतरण या निपटान।

(2) धारा 25 में यथाविनिर्दिष्ट संबंधित व्यक्तियों या सुभिन्न व्यक्तियों के बीच में माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति जब वह कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में की गई हो :

परन्तु किसी नियोजक द्वारा किसी कर्मचारी को एक वित्तीय वर्ष में दिए गए पचास हजार से अनधिक मूल्य के उपहार को माल या सेवा या दोनों की पूर्ति नहीं माना जाएगा।

(3) **(क)** किसी मालिक द्वारा उसके अभिकर्ता को माल की पूर्ति, जहां अभिकर्ता मालिक की ओर से ऐसे माल की पूर्ति करने का वचन देता है; या

(ख) किसी अभिकर्ता द्वारा उसके मालिक को माल की पूर्ति, जहां अभिकर्ता मालिक की ओर से ऐसे माल को प्राप्त करने का वचन देता है।

(4) कारबार को अग्रसर करने या उसके अनुक्रम में, [1]**[**व्यक्ति**]** द्वारा भारत से बाहर संबंधित व्यक्ति या उसके किसी अन्य स्थापन से सेवाओं का आयात।

---

1 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा ''कराधेय व्यक्ति'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।